

पेंच टाइगर रज़िर्व में बेनामी लेनदेन

चर्चा में क्यों?

[आयकर विभाग](#) की बेनामी नषिध इकाई (BPU) ने मध्य प्रदेश के [पेंच टाइगर रज़िर्व](#) में तीन बेनामी लेनदेन का पता लगाया।

मुख्य बिंदु

- **बेनामी लेनदेन का विवरण:**
 - दो बेनामी लेन-देन में मौजूदा रसिॉर्ट वाली भूमि शामिल थी, जबकि तीसरा लेन-देन रसिॉर्ट के लिये इच्छति भूमि से संबंधित था।
 - आयकर विभाग की बेनामी नषिध इकाई (BPU) ने [बेनामी लेनदेन \(नषिध\) संशोधन अधिनियम 2016](#) के तहत तीनों संपत्तियों का पता लगाया और उन्हें कुरक कर लिया।
 - मध्य प्रदेश [बेनामी संपत्ति कुरक करने](#) में देश में सबसे आगे है, जहाँ 900-950 करोड़ रुपए मूल्य की 1,400 से अधिक संपत्तियाँ कुरक की गई हैं।
- **अनुसूचति जनजातीय कषेत्रों में कानूनी संदर्भ:**
 - [भू-राजसव संहति](#) की धारा 165 मध्य प्रदेश के [अधसूचति अनुसूचति कषेत्रों](#) में आदवासियों की जमीन गैर-आदवासियों को बेचने पर रोक लगाती है।
 - आदवासी, ज़िला कलेक्टर की मंजूरी के बिना अधसूचति और गैर-अधसूचति ग्रामीण कषेत्रों में गैर-आदवासियों को भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।
 - लाभकारी मालिकों ने इस प्रतबिंध को दरकिनार करते हुए जनजातीय प्रतनिधियों के माध्यम से भूमि खरीद ली और फरि उसे रसिॉर्ट नरिमाण के लिये पट्टे पर दे दिया।
- **बाघ अभयारण्यों (टाइगर रज़िर्व) में बेनामी संपत्ति कुरक करने का महत्त्व:**
 - ये कुरक या संलग्नक [बाघ अभयारण्यों](#) के भीतर बेनामी लेनदेन पर एक दुरलभ काररवाई का प्रतनिधित्व करती हैं।
 - बाघ अभयारण्यों और [वन्यजीव अभयारण्यों](#) के नकिट आदवासी बहुल कषेत्रों में स्थति अन्य रसिॉर्ट भी इसी प्रकार के उल्लंघन के लिये जाँच के दायरे में हैं।

पेंच टाइगर रज़िर्व (PTR)

- PTR मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त गौरव है।
- यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के सविनी और छदिवाड़ा ज़िलों में [सतपुड़ा पहाड़ियों](#) के दक्षिणी छोर पर स्थति है तथा महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में एक अलग अभयारण्य के रूप में वसित है।
 - इसे 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा [राष्ट्रीय उद्यान](#) घोषति किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे [बाघ अभयारण्य](#) का दर्जा दिया गया।
 - हालाँकि, PTR मध्य प्रदेश को 1992-1993 में यही दर्जा दिया गया था। यह मध्य हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकाल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षति कषेत्रों में से एक है।
- यह भारत के [महत्त्वपूर्ण पक्षी कषेत्रों \(IBA\)](#) के रूप में अधसूचति स्थलों में से एक है।
- IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वश्व के पक्षियों और उनसे संबंधति वविधति के संरक्षण के लिये IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, नगिरानी और सुरक्षा करना है।

बेनामी लेनदेन (नषिध) संशोधन अधिनियम 2016

- इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम (बेनामी लेनदेन (नषिध) अधिनियम, 1988) में संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर [बेनामी संपत्ति लेनदेन नषिध अधिनियम, 1988](#) कर दिया गया।
- अधिनियम में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषति किया गया है, जहाँ:
 - कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है या किसी व्यक्ति को हस्तांतरति है, लेकिन उसका प्रावधान या भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।
 - लेन-देन किसी कालपनिक नाम से किया गया है
 - मालिक को संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी नहीं है या वह इसकी जानकारी से इनकार करता है,

- संपत्तिके लिये प्रतफल प्रदान करने वाले व्यक्तिका पता नहीं चल पा रहा है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/benami-transactions-in-pench-tiger-reserve>

